

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक: राजहैल्थ / /2024/47

दिनांक: 21/06/2024

—:आदेश:—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के **"राजहैल्थ पोर्टल"** के माध्यम से नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किये जायेंगे।

अतः चयनित अभ्यर्थियों को विभाग एवं सीफू की वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि www.rajhealth.rajasthan.gov.in पर लॉग-इन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा-निर्देशानुसार अपने पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।

वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान के विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24.06.2024 को सांय 5 बजे तक है। इसके पश्चात विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: राजहैल्थ / /2024/47

दिनांक: 21/06/2024

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान राज0 जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश एवं संलग्न दिशा-निर्देश, आपके संस्थान की वेबसाईट पर भी अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. चयनित अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 9- आदेश / रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8216157

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma

Designation: Director

Date :21-06-2024 04:12:44

लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश

1. नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राजहैल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑन लाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के सम्बन्ध में लॉग-इन करना होगा।
2. लॉग-इन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने/शीफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में सम्बन्धित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जायेगी एवं गलत/झूठी सूचना अंकित करने पर सम्बन्धित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में से **नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 50 एवं टीएसपी एरिया में कम से कम 20 विकल्प भरने अनिवार्य है**। जिसमें प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक जिले से कम से कम एक संस्थान का विकल्प देना अनिवार्य है। जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा।
6. पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट आधार पर कॉउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
7. **अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है**। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा **अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है**। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रेण्डम आधार आवंटन किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें।
8. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा की वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्तानुसार रिक्तियां भरने के उपरान्त शेष रही रिक्तियों पर रेण्डम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

RajKaj Ref
8216996

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :21-06-2024 04:12:35